



## उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)  
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग लखनऊ



संख्या 994- कांविरनी० एवं वेप्र०-२९/पाकालि/ 2018-६ काविनी एवं वेप्र०/०८ दिनांक १३ सितम्बर, २०१८

समस्त मुख्य अभियंता, (स्तर-१ एवं ॥),  
 समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,  
 समस्त अधीक्षण अभियंता,  
 समस्त उप महाप्रबन्धक,  
 उपरोक्त पावर कारपोरेशन लिं०।

**विषय:-** उप्र० पावर कारपोरेशन के समस्त पूर्णकालिक अधिकारी / अधिकारिकों, जो दिनांक 01.01.96 से प्रभावी वेतनमानों में वेतन आहरित कर रहे हैं अथवा जिन्होंने दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया है, को दिनांक 01 जनवरी, 2018 से महँगाई भत्तों का, बढ़ी हुई दर पर भागतान।

महोदय

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश संख्या 260-काविंनी० एवं वे०प्र०-२९/पाकालि/२०१८-६ काविनी एवं वे०प्र०/०८ दिनांक ०६ मार्च, २०१८ एवं संख्या ७१-वे०प्र०-३०/पाकालि/०६-८वे०प्र०-३०/०६ दिनांक २७ फरवरी, २००६ के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० पावर कारपोरेशन के ऐसे समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारी/अधिकारिक, जो किन्हीं कारणोंवश दिनांक ०१.०१.१९९६ से प्रभावी वेतनमानों में वेतन आहरित कर रहे हैं अथवा जिन्होंने दिनांक ०१.०१.२००६ से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक ०१.०१.२००६ से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं, को दिनांक ०१ जनवरी, २०१८ से निमानुसार संशोधित दर पर मंहगाई भत्ते का भूगतान अनुमन्य होगा :-

|                   |  |
|-------------------|--|
| तिथि जब से देय है | मंहगाई भत्ते की मासिक दर                         |
| 01 जनवरी, 2018    | मूल वेतन पुर्व मंहगाई वेतन के योग का 274 प्रतिशत |

2. इस आदेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 410-वे०प्र०(30) / पाकालि / ००-१४वे०प्र०(30) / ०० दिनांक 23.08.2000 के प्रस्तर 2, 6, 7 एवं 8 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लाग रहेंगे।

3. महँगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम - 9 (21) के अनुर्गत 'वेतन' नहीं माना जायेगा।

4. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ता उन कार्मिकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत् थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्त, मृत्यु या सेवा-मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गई हों, सेवा-समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

5. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णकित किया जायेगा अर्थात पचास पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णकित किया जायेगा और पचास पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।


6. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2018 से दिनांक 31 मार्च, 2018 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाते में अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की संविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस

(क्रमांक: २)

प्रकार जमा धनराशि को सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2019 तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर, जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (*Final Withdrawal*) देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान, दिनांक 01 अप्रैल, 2018 (माह अप्रैल, 2018 का भुगतान दिनांक 01 मई, 2018 को देय) से नकद किया जायेगा। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता न खुला हो, उनको देय अवशेष की धनराशि उनके पी०पी०एफ० में जमा की जायेगी, अथवा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन०एस०सी०) के रूप में प्रदान की जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह उसे नकद दी जायेगी।

7. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस आदेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जनवरी, 2018 से आदेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय मंहगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

8. उक्त आदेशानुसार स्वीकृत बढ़े हुए मंहगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु उप महाप्रबन्धक (लेखा)/ (लागत) द्वारा प्राधिकार-पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

  
भवदीय  
(राकेश भट्ट)


अनु सचिव (कांविंनी०)

38

### सं० 994 -(I) काविनी एवं व०प्र०-२९ / पाकालि / 2018 - तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
4. अध्यक्ष, उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
6. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
7. अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पांकालि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पांकालि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, बी-१७, जे० रोड, महानगर, उ०प्र० पांकालि०, लखनऊ।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
11. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
12. अनु सचिव (स०प्र०-लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
13. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पांकालि०, लखनऊ।
14. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-४०७, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट, [www.uppcl.org](http://www.uppcl.org) पर अपलोड करने हेतु।

  
(राकेश भट्ट)

अनु सचिव (कांविंनी०)